फर्द अहकाम

(नियम 26)

# अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :– ~~सन्तोषदेवी पत्नी सत्यनारायण~~ मदन सिंह S/o अनेसिंह —::बनाम::— अप्रार्थी :– तहसीलदार

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रा.पत्र नम्बर :–148/2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06.23 | प्रार्थी उपस्थित।<br>राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प सेवरिया में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत् पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा– सेवरिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 116, 117, 118, व 015 तथा 119 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम मदन पुत्र अनेसिंह, मदन पुत्र अनाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में मदनसिंह पुत्र अनेसिंह हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम मदन पुत्र अनेसिंह, मदन पुत्र अनाराम के स्थान पर ~~सन्तोषदेवी पत्नी सत्यनारायण~~ मदनसिंह पुत्र अनेसिंह शुद्ध किये जाने का निवेदन किया हैं।<br>प्रशासन गांवो के संग अभियान सेवरिया में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक रास व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा– कुड़की में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 116, 117, 118, व 015 तथा 119 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम मदन पुत्र अनेसिंह, मदन पुत्र अनाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में ~~सन्तोषदेवी पत्नी सत्यनारायण~~ मदनसिंह पुत्र अनेसिंह दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम मदन पुत्र अनेसिंह, मदन पुत्र अनाराम के स्थान पर ~~सन्तोषदेवी पत्नी सत्यनारायण~~ मदनसिंह पुत्र अनेसिंह शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं।<br>अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक रास व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा– सेवरिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 116, 117, 118, व 015 तथा 119 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि मदन पुत्र अनेसिंह, मदन पुत्र अनाराम को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक "~~सन्तोषदेवी पत्नी सत्यनारायण~~ मदनसिंह पुत्र अनेसिंह" दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू–अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर अभिलेख्य भण्डार जमा हो।<br>SDO | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi

Date: 2023.12.11 12:23:02 IST

Reason: SelfAttested